न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 22/2019

प्रार्थी

(1) शंकरलाल पुत्र मगनाजी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा, तहसील– शिवगंज जिला सिरोही
(2) देशाराम पुत्र मंछारामजी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) ग्राम पंचायत, केसरपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, केसरपुरा, जिला–सिरोही
(2) कुपाराम पुत्र कानाजी, जाति–मीणा, निवासी–केसरपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह डाबी, प्रार्थीगण की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 12 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी कुपाराम पुत्र कानाजी, जाति– मीणा, निवासी– केसरपुरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 6536 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, केसरपुरा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, केसरपुरा के पत्र दिनांक 05.10.2023 के द्वारा उक्त पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डाबी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम केसरपुरा, ग्रांम पचायत केसरपुरा, तहसील शिवंगज में प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी कुपाराम के संयुक्त कब्जे भोगवटे की आवासीय सम्पति आई हुई है, जिसकी चतुदर्शी पूर्व दिशा में गलबा पुत्र कानाजी मीणा, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में लच्छाराम पुत्र नारायणजी मेघवाल, दक्षिण दिशा में गली है तथा नाप पूर्व 70 फीट, पश्चिम 44 फीट, उत्तर 38 फीट व दक्षिण 24 फीट कुल क्षेत्रफल 6536 वर्गफीट है। यह कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा उक्त सम्पति का का अकेले अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.19181 जारी करने में विधिक त्रृटि कारित की है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी स[illegible] के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 की आवासीय सम्पति प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी कुपाराम के सयुंक्त कब्जे अधिकार की सम्पति है। उक्त [illegible] में प्रार्थीगण का मालिकाना हक [illegible]ज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही
सत्यमेव जयते

हिस्सा है एवं इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण मौके पर शामलाती में काबिज है। उक्त सम्पति पर भवन निर्माण प्रार्थीगण ने शामलाती मे करवाया है। उक्त सम्पति अप्रार्थी संख्या– 2 के अकेले स्वामित्व की सम्पति नहीं है। अप्रार्थी संख्या– 2 को उक्त सम्पूर्ण सम्पति का पट्टा उसके स्वयं के नाम से प्राप्त करने का विधि मे कोई अधिकार नही है। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा उक्त सम्पति का अप्रार्थी संख्या 2 अकेले के पक्ष में पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 को विधि विरुद्ध जारी किया है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने उक्त पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने के पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारीयो या प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस या सूचना नहीं दी है एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त पट्टा प्रार्थीगण के पीठ पीछे बदनियती पूर्वक ग्राम पंचायत, केसपुरा के तत्कालीन सरंपच एवं सचिव से मिलावट कर प्राप्त किया है। जिससे प्रार्थीगण को उक्त पटटा अप्रार्थी संख्या 2 अकेले के नाम से जारी होने की जानकारी पूर्व में नहीं थी। ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किया है, जो किसी भी रुप से सद्‌भाविक नहीं है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा उक्त पट्टा जारी करने के पूर्व पडोसियों को कोई नोटिस नही दिया है। नोटिस किस को जारी किया है। ऐसा कोई तथ्य नोटिस में अकित नही है। उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी करने में ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने पंचायती राज नियमों में प्रदत्त प्रावधानो की खुली अवहेलना है। यह कि सयुंक्त कब्जे स्वामित्व भोगवेटे की सम्पति का पट्टा किसी एक व्यक्ति के नाम से जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा को उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या– 2 अकेले के हक में जारी करने का कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, नवारा ने 6536 वर्गफीट भूमि का पटटा मात्र 130 रुपये 72 पैसे में जारी करने में गंभीर कानूनी त्रुटी की है। यह कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि प्रार्थीगण के पिता के कब्जे स्वामित्व एव हक अधिकार की कब्जे शुदा भूमि है। उक्त भूमि का पट्टा गुपचुप तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 ने तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच एंव सचिव से मिलावट कर अवैध रुप से प्राप्त किया है। उक्त आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के पूर्व ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने मौका कमेटी का गठन नही किया है व मौका भी नहीं देखा गया एवं न ही मौके की स्थिति रेकर्ड पर आई है। पट्टा जारी करने हेतु मौका निरक्षण नहीं किया गया एवं ग्राम पंचायत के पंचो की राय प्राप्त नहीं की गई है। पट्टा जारी करने में विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। यह कि उक्त पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पचायत ने कोई प्रस्ताव पारित नही किया है, केवल मात्र सरंपच के हस्ताक्षरों से प्रश्नगत पटटा जारी किया गया है जिससे उक्त पटटा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 को निरस्त किया जावे।

जबकि अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता श्री खरोर ने अप्रार्थी संख्या–2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम केसरपुरा, ग्राम पंचायत केसरपुरा, तहसील शिवगंज में प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी संख्या 2 कुपाराम के संयुक्त कब्जे भोगवटे की कोई आवासीय सम्पत्ति नहीं आई हुई, बल्कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 की सम्पत्ति एक मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे भोगवटे, स्वामित्व व मालिकी की है, जिसकी चतुर्दशी पूर्व में गलबा पुत्र कानाजी, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में लच्छा पुत्र नारायणजी मेघवाल व दक्षिण में गली है तथा इस भूमि का एक द्वार पश्चिम में भी आया हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6,536 वर्गफीट है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त कब्जे अधिकार की नहीं है एवं न ही उक्त सम्पत्ति [illegible] गण का मालिकाना हक हिस्सा है तथा न ही हिस्से अनुसार प्रा[illegible] काबिज है, बल्कि उक्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या–2 (कृपाराम) का कब्जा [illegible] है तथा कृपाराम को उक्त सम्पत्ति

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

से हटाने के लिए प्रार्थीगण झगडा फसाद करते रहते हैं जिनके विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 18.2.2013 व 31.5.2013 में पुलिस थाना शिवगंज व सरपंच, ग्राम पंचायत, केसरपुरा को रिपोर्ट भी दी हुई है। विवादित सम्पत्ति पर निर्माण अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा करवाया गया है एवं उक्त सम्पत्ति केवल मात्र अप्रार्थी संख्या–2 के स्वामित्व व मालकी है। उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है तथा उक्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा होने से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने पुराने कब्जे के आधार पर विधिक प्रकिया की पालना करते हुए पट्टा जारी किया है किन्तु प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 2 (कुपाराम) जो चलने फिरने में असमर्थ है. उसकी सम्पति को हडपने के लिये आये दिन धमकी देते रहते है तथा उक्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या 2 को धमकाकर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। यह कि अप्रार्थी सख्या 2 के विरूद्ध प्रार्थीगण रंजिश रखते है व अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी कैलाशदेवी ने प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना शिवगंज में जुर्म अन्तर्गत धारा 451, 354, 325, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें प्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय, शिवगंज में आरोप पत्र पेश हुआ था इस कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या दो से रंजिश रखते है जिसका बदला लेने के लिए दुर्भावनावश प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या दो के विरूद्ध यह निगरानी पेश की है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी कुपाराम पुत्र कानाजी, जाति– मीणा, निवासी–केसरपुरा के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 6536 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.19181 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 की आवासीय सम्पति प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी कुपाराम के सयुंक्त कब्जे अधिकार की सम्पति है। उक्त सम्पति में प्रार्थीगण का मालिकाना हक हिस्सा है एवं इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण मौके पर शामलाती में काबिज है। उक्त सम्पति पर भवन निर्माण प्रार्थीगण ने शामलाती मे करवाया है। उक्त सम्पति अप्रार्थी संख्या– 2 के अकेले स्वामित्व की सम्पति नहीं है। अप्रार्थी संख्या– 2 को उक्त सम्पूर्ण सम्पति का पट्टा उसके स्वयं के नाम से प्राप्त करने का विधि मे कोई अधिकार नही है। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा उक्त सम्पति का अप्रार्थी संख्या 2 अकेले के पक्ष में पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 को विधि विरुद्ध जारी किया है।" जबकि अप्रार्थी संख्या–2 का कथन है कि "प्रश्नगत पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 की सम्पत्ति एक मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे भोगवटे, स्वामित्व व मालकी की है।" अप्रार्थी संख्या–2 का यह भी कथन है कि "उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त कब्जे अधिकार की नहीं है एवं न ही उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थीगण का मालिकाना हक हिस्सा है तथा न ही हिस्से अनुसार प्रार्थीगण मौके पर शामलाती रुप से काबिज है, बल्कि उक्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या–2 (कुपाराम) का ही कब्जा है।"

प्रार्थीगण निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 की भूमि प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी कुपाराम के संयुक्त कब्जे अधिकार की सम्पति हो। प्रार्थीगण ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त सम्पति में प्रार्थीगण का मालिकाना हक हिस्सा है एवं इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण मौके पर शामलाती में काबिज हो।

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थीगण निगरानीकार है, लेकिन प्रार्थीगण निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहे है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.6.1981 को जारी किया गया है, लेकिन इस पट्टे को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण ने पट्टा जारी होने के 38 वर्ष बाद यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थीगण ने कोई ठोस युक्तियुक्त कारण निगरानी आवेदन में अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12 जनवरी, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:32:18 IST
Reason: SelfAttested